27/7 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक 3/8/22 को पेश हो। आज्ञा है।

3/8/22 पत्रावली पेश। किरदार वास्ते जवाब हेतु 10/8/22 को पेश हो।

[signature]

10/8/22 पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पत्रावली में जवाब पूर्व में पेश किया जा चुका है। पत्रावली में साक्ष्य पेश किये जा चुके हैं। अतः बहस सुनी गई।

पत्रावली में प्रस्तुत दावा, जवाब दावा एवम् दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त खसरात खसरा नं. 140, 158, 207, 235/2 को स्वयं

को खातेदारी भूमि एवम कब्जा
काश्त बताते हुए स्थायी निषेधाज्ञा
विरुद्ध अप्रार्थीगण चाही गई।
वादी द्वारा बताया गया कि
उक्त वर्णित भूमि उनके पूर्वजों
से सहमति से बंटवारे के
आधार पर उन्हें प्राप्त हुई है।
इस संबंध में वादी द्वारा संवत
2059-2062 तक की जमाबंदी की
प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पे पेश
की है।

प्रतिवादीगण द्वारा
प्रस्तुत जवाब में उनके द्वारा
किसी भी प्रकार का बँटवारा
पैतृक भूमि का नहीं किया

जाना बताया। प्रतिवादीगण द्वारा बताया गया कि जिस नामांतरण के आधार पर वादी को खातेदारी प्रदान की गई, उस नामांतरण को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया।

न्यायालय द्वारा तनकीवार विचार किया गया।

तनकी सं. 1 - वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

वादी द्वारा संवत 2059-62 की जमाबंदी पेश की गई जिसमें वादी वादग्रस्त खसरा 140, 158, 207, $\frac{215}{2}$ का खातेदार है। वादी द्वारा बंटवारे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
या गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा नामांतरकरण खारिज हो जाने संबंधित दलील के जवाब में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः नवीनतम राजस्व रिकार्ड के अभाव में तथा बँटवारे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वादी इस तनकी को साबित करने में असफल रहा। अतः यह तनकी विरुद्ध वादी फैसल की जाती है।	
<u>तनकी सं. 2.(डी)</u> वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से बँटवारा नहीं किया गया। (प्रतिवादी)	
चूँकि बँटवारे के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया गया। अतः न्यायालय यह समझता है कि वादग्रस्त भूमि का विधिक बँटवारा नहीं किया	

अतः उपरोक्त विवेचना

किये जाने पर न्यायालय इस

निष्कर्ष पर पहुँचा है कि किस

किसी विधिक बैनाड के वादी के

खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि

पर बैध नहीं है। वादी द्वारा

प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादी

यह साबित करने में असफल रहा

कि वह वादग्रस्त खसरा पर्चा

खसरा नं. 140, 158, 207, $\frac{235}{2}$ ग्रा

भीमसागर, तहसील ओलियों में विरुद्ध

प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त

करने का अधिकारी है।

न्यायालय वादी द्वारा

पेश स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा

38, वि.मु.अ. अधिनियम को खारिज

करता है।

प्रकरण इसी स्तर पर

समाप्त किया जाता है।